



निर्वाह की पालना हेतु तहसीलदार राजस्व  
संग्रहिता को अलग से पत्र जारी हों।  
पत्रावली फ़ैसलशुमार नम्बर से कम की  
जाकर दाखिल दफ़्तर हों।

५